न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, श्रीगंगानगर

25.06.2025 प्रार्थीगण ओम प्रकाश पुत्र सुरजाराम व अन्य जाति बिश्नोई निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद में राज्य सरकार को 60 दिवस पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है क्योंकि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए प्रार्थीगण को 60 दिवस पूर्व राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस प्रेषित करने की बाध्यता से छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ध[illegible] आरटीए का प्रस्तुत करने की अनुमति [illegible] की जाती है।

25/06/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:24:21 IST
Reason: SelfAttested